Title: Need to take steps to solve the power problem at Chandigarh.

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, चण्डीगढ़ को १९६६ में पंजाब के विभाजन के समय पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र शासित संघ प्रदेश का दर्जा दिया गया था। यह प्रदेश पंजाब के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया एक प्रदेश है यानी कि 'सक्सीडिंग स्टेट' है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक सक्सीडिंग स्टेट को भाखड़ा-व्यास मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली में एक हिस्सा मिलना तय था। सक्सीडिंग स्टेट होने के कारण उस बिजली के उत्पादन में से अपने हिस्से का तथा सस्ते भाव पर बिजली का हकदार था, परन्तु चण्डीगढ़ को यह हिस्सा नहीं दिया गया। इस कारण वहां के लोगों में आक्रोश की भावना है।

वैसे भी इस क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है और अपनी खपत के लिए बिजली इधर-उधर से खरीदनी पड़ती है। यह बिजली काफी महंगी पड़ती है। चण्डीगढ़ में बिजली के उत्पादन का फिलहाल अपना कोई साधन भी नहीं है जिस कारण परेशानी और भी बढ़ जाती है। इससे रोजगार और उद्योग पर भी उल्टा असर पड़ता है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह चंडीगढ़ के साथ हो रहे इस भेदभाव को मिटाने के लिए तुरंत कदम उठाये तथा वहां बिजली की कमी को दूर करने की ओर तुरंत ध्यान दे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि चंडीगढ़ को भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा पैदा की जा रही बिजली में 'सक्सीडिंग स्टेट' होने को स्वीकार करते हुए उसे उसका उचित हिस्सा दिलवाया जाए और पिछले ३० वर्षों में इस हिस्से के न मिलने के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जाए। इसके साथ-साथ चंडीगढ़ में बिजली उत्पादन के केन्द्रों को मंजूरी देकर वहां अपने बिजली उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाये जाएं, ताकि बिजली की कमी दूर हो सके। समस्त चण्डीगढ़ वासी इसके लिए केन्द्र सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।